भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

No.1/3/2002-Admin.II (CGHS)Pt/E.Office.118974 **Dated:02/11/2026**

सेवा में,

प्रबंधक/अधिकृत प्रतिनिधि
Amerix Super Speciality Hospital
Sector-19, Dwarka,
New Delhi – 110075

विषय: Amerix Super Speciality Hospital, Sector-19, Dwarka, New Delhi में आईसीएमआर के सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं उनके आश्रित परिवारजनों को क्रेडिट (कैशलेस) आधार पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय पर आपकी ई-मेल दिनांक 17.07.2026 के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), जो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, ने यह निर्णय लिया है कि ICMR मुख्यालय तथा दिल्ली एन.सी.आर. में स्थित ICMR संस्थानों/केन्द्रों में कार्यरत सेवारत कर्मचारी, पेंशनभोगी तथा उनके पात्र आश्रित परिवारजन, जो वैध CGHS कार्ड धारक हैं, उन्हें अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान Amerix Super Speciality Hospital में क्रेडिट (कैशलेस) आधार पर OPD, IPD एवं Emergency चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उक्त सेवाएं लागू CGHS नियमों, दरों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।

Amerix Super Speciality Hospital द्वारा सीजीएचएस दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु बिल संबंधित कार्यालय/संस्थान को भेजा जाएगा तथा इनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि बिल प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर भुगतान जारी कर दिया जाए।

किसी भी OPD, IPD अथवा Emergency चिकित्सा सेवा हेतु क्रेडिट सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी द्वारा अस्पताल को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन्हें बिल एवं मैंडेट फॉर्म के साथ भुगतान हेतु संबंधित कार्यालय/संस्थान को अस्पताल द्वारा भेजा जाएगा:-

1. वैध सीजीएचएस कार्ड की प्रति।
2. सीएमओ, सीजीएचएस/सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन की छायाप्रति।
3. यदि रोगी को सीजीएचएस/सरकारी विशेषज्ञ द्वारा निजी सीजीएचएस-पैनल वाले अस्पताल में उपचार के लिए संदर्भित किया गया हो अथवा आईसीएमआर मुख्यालय कार्यालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ हो, तो उक्त प्रिस्क्रिप्शन/अनुमोदन की छायाप्रति।

यह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

Digitally signed by भवदीय
Jaibir Singh
Date: 02-11-2026
13:00:00
(जयबीर सिंह)
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. एम.आर. सेल, आईसीएमआर मुख्यालय, नई दिल्ली
2. निदेशक, आईसीएमआर - i)NIRDH (NIMS), New Delhi, ii) NICHR (NIP), New Delhi, iii)NIMR, Dwarka, iv) NICPR, Noida
3. डॉ. मनजीत सिंह चालगा, आई.सी.एम.आर. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

वी. रामलिंगस्वामी भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 4911,
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110 029, भारत
V. Ramalingaswami Bhawan, P.O. Box No. 4911,
Ansari Nagar, New Delhi - 110 029, India

Tel: +91-11-26588895 / 26588980 / 26589794
+91-11-26589336 / 26588707
Fax: +91-11-26588662 | icmr.nic.in